उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल

मूल क्षेत्राधिकार

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2111/2020

अभियुक्त की जमानत अर्जी पर आदेश

राजन पुत्र राजेन्द्र.....आवेदक (जेल में)

प्रति

उत्तराखण्ड राज्य.....प्रतिवादी

श्री तपन सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता

श्री वी0के0 जैमिनी, उत्तराखण्ड राज्य के उप महाधिवक्ता

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे

वर्तमान प्रार्थना पत्र में आवेदक पर धारा 363, 366–ए, 376 (2) (ध) के तहत अपराध आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (थ) (ञं) (ii)/6, 2012 का आरोप है। जो दिनांक 17–07–2020 को उनके विरूद्ध थाना पिरान कलियर, जनपद हरिद्वार, द्वारा 2020 के केस क्राइम नंबर 73 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

02. आवेदक का मामला, प्रयोजनों के लिए उनसे जमानत और परिणामी रिहाई की मांग की जा रही है उक्त के कमीशन में कथित संलिप्तता अपराध, यह है कि यद्यपि वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि वह है एफआईआर में नामित अभियोक्ता शालू, जो पर अपराध घटित होने की तिथि पर उम्र 17 वर्ष दर्शाई गई थी एफआईआर में कक्षा–12 का छात्र होना दर्शाया गया था। उनके केस के मुताबिक वह बालिग थी. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई अपराध नहीं है, अभियोक्ता की उम्र घटना की तिथि को बालिग होने के साबित होने की स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध पॉक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर में दर्ज मामला नहीं बनेगा। अपने तर्क को जारी रखते हुए, वह आगे प्रस्तुत करता है, कि अभियोक्ता, चूँकि सहमति देने वाला भागीदार, और स्वेच्छा से इसमें शामिल होना 2 शारीरिक संबंध में शामिल हुई है जिसके परिणामस्वरूप, वह गर्भधारण किया है और गर्भवती हो गई है, इसलिए यह आईपीसी की धारा 376 (2) (डीएचए) के तहत अपराध नहीं होगा एफआईआर में गर्भवती होने का खुलासा नहीं किया गया था

03. वह अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करता है कि अपराध किए जाने की तारीख पर अभियोक्ता बालिग थी। उक्त के लिए जन्मतिथि जैसा कि परिवार रजिस्टर में दर्ज किया गया था, को संदर्भ बनाता है और उस पर भरोसा करता है, जिसे आवेदक के अनुसार 17 दिसंबर, 2001 को होना रिकार्ड में दिखाया गया है, जबकि, शिकायतकर्ता की मामला यह है कि अभियोक्त्री, जो कि कक्षा बारहवीं की छात्रा थी और चूंकि स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार, उसकी जन्मतिथि शिकायतकर्ता के अनुसार, दिनांक 7 जुलाई, 2003 थी। जन्म तिथि के आधार पर, वह नाबालिग थी और अपराध जिसकी शिकायत की गई है उसके खिलाफ विशेष रूप से बनता है।

04. मामले के तथ्य यह थे कि घटना 14 जुलाई, 2020 की रात को शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी बेटी शालू, जो नाबालिग थी, आवेदा एवं उसके द्वारा बहला–फुसलाकर ले जाया गया है उसके साथ भाग गया था और बाद में मिलने पर आवश्यक जानकारी एकत्रित कर उन्होंने एक 17.07.2020 को एफआईआर पंजीकरण कराया है और बाद में आवेदक 19 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया गया।

05. जब यह जमानत आवेदन दायर किया गया था विद्वान शासकीय अधिवक्ता को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया तथा समन्वय पीठों द्व ारा पारित आदेश कोर्ट 28 अक्टूबर, 2020 और 12 मई, 2021 के अनुपालन दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था। विद्वान सरकारी वकील, रिकॉर्ड पर दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, जिनकी एक प्रति आवेदक के विद्वान वकील को भी प्रदान किया गया था

06. मेडिकल जांच रिपोर्ट जो इस प्रकार प्रस्तुत किया गया, अभियोजक ने डॉक्टर के समक्ष बयान, उसकी जांच की तो पता चला कि वह स्वेच्छा से उसके साथ गई थी तथा वह उसके साथ किराए के कमरे में रही थी उसने यह भी कहा कि बाद में उसने 15 जुलाई, 2020 को मंदिर में शादी कर ली, उन्होंने आगे कहा कि उन्होने यौन संबंध बनाए, लेकिन बाद में वापस लौटते समय उसे पुलिस ने देहरादून, हकीमपुर में पकड़ लिया और परिणामस्वरूप, आवेदक को उसके कथित अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था।

07. मेडिकल जांच रिपोर्ट में राय, जो उसमें व्यक्त किया गया था, डॉक्टर द्वारा, वह इस प्रकार था पूरक चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, यह

देखा गया अभियोक्ता गर्भवती थी, और यह आवेदक के साथ शारीरिक संबंध का परिणाम था लेकिन फिर भी उसका लगातार रुख बयान, जो अभियोजन पक्ष द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 दर्ज किया गया था से सुसंगत था कि अभियोक्ता का आवेदक के साथ कुछ वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था वह 14 जुलाई, 2020 को उसके साथ भाग गई और एक किराये का आवास, बगल की गली में सिनर्जी अस्पताल, देहरादून में रहने लगी। लेकिन उनके बयान जिसे उसके द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष सी. आर.पी.सी की धारा 164 दर्ज किया गया था अभियोक्त्री ने यह कथन कि आवेदक ने अभियोक्ती को कोई दवा सुंघा दी, जिससे वह अचेतन हो गई, और उस शारीरिक और मानसिक अवस्था में, आवेदक ने अभियोक्ती के साथ उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया है।

08. उसने यह प्रस्तुत किया है कि गैर– सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध और उसे अपनी गर्भावस्था के तथ्य का एहसास घटना की तारीख से एक से डेढ महीने के बाद ही हो सका। मेडिकल जांच में वह आई तो पता चला कि वह गर्भवती थी जिसे उसने विशेष रूप से यह कहकर इनकार कर दिया था कि ऐसा कोई विवाह नहीं था।

09. पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में जो रिकॉर्ड पर रखा गया था, गर्भावस्था का तथ्य भी साबित हुआ सकारात्मक और गर्भावस्था के गर्भधारण का तथ्य राजकीय चिकित्सालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार के अधिकारी के बयान से भी इसकी पुष्टि हो गई, जिसने अभियोक्ती से परीक्षण किया था। आरोप पत्र, 2020 का क्रमांक 73, दिनांक 16 अगस्त, 2020 आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां जांच अधिकारी ने जांच के बाद दर्ज किया है उन्होंने कम से कम 13 गवाहों के बारे में बताया है कि वर्तमान आवेदक के विरुद्ध शिकायती अपराध सिद्ध हुआ।

10. जमानत आवेदन पर बल देते हुए तर्क दिया गया है, कि वास्तव में, जैसा कि शिकायत की गई है, ऐसा कोई अपराध आवेदक के विरुद्ध इस कारण से स्थापित नहीं किया जाएगा क्योंकि परिवार रजिस्टर प्रामाणिक होने के बाद से, सार्वजनिक दस्तावेज बन जाएगा, जो की धारा 35 के अनुसार साक्ष्य में पठनीय होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 निम्नानुसार प्रावधानित करती–

"35. सार्वजनिक रिकॉर्ड में प्रविष्टि की प्रासंगिकता ख्या एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, के प्रदर्शन में बनाया गया कर्तव्य.—किसी भी सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक पुस्तक में एक प्रविष्टि, रजिस्टर या रिकॉर्ड ख्या एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बताते हुए मुद्दे में तथ्य या प्रासंगिक तथ्य, और जनता द्वारा बनाया गया नौकर अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, या द्वारा कोई अन्य व्यक्ति विशेष रूप से किसी कर्तव्य का पालन कर रहा हो उस देश के कानून द्वारा आदेश दिया गया है जिसमें ऐसा है पुस्तक, रजिस्टर या रिकार्ड ख्या एक इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड, है रखा गया, यह अपने आप में एक प्रासंगिक तथ्य है।"

11. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 को आवेदक द्वारा वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र के स्तर पर इस आधार पर बल दिया जा रहा है कि आवेदक द्वारा परिवार रजिस्टर में अंकित प्रविष्टियों को लोक दस्तावेज के रूप में माना जा रहा है तथा उक्त प्रविष्टियों को साक्ष्य की दृष्टि से लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 के अपराध के निराकरण में आवश्यक होने का कथन किया जा रहा है।

12. आवेदक के लिए विद्वान वकील का यह तर्क को कि परिवार रजिस्टर के स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रिकॉर्ड के दायरे में आने तथा बिना किसी विधिक प्रावधान के परिवार रजिस्टर आधिकारिक तौर पर तैयार किया गया है, इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विधिक सामान्य भाषा में परिवार रजिस्टर राजस्व के मामलों और विधिक प्रतिनिधियों के उद्धेश्य हेतु विचार में लाया जाता है।

13. अतः परिवार रजिस्टर में दर्ज की गई प्रविष्टियां को साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के दस्तावेज के रूप में पढ़ा नहीं जा सकता और वर्तमान जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु विचार में नहीं लाया जा सकता।

14. वैकल्पिक रूप से, उन्होंने यह भी तर्क दिया है, कि यदि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 8, 1969 को ध्यान में रखा जाता है उस स्थिति में भी परिवार रजिस्टर को साक्ष्य के तौर पर पढ़ा जा सकता है। यह न्यायालय इस तर्क को मानने से सहमत नहीं है क्योंकि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 7, 1969 स्वयं प्रावधान करता है कि यह एक कानूनी प्रतिबंध है, जो किसी व्यक्ति पर अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिए डाला गया है कि वह किसी जन्म व मृत्यु को आवश्यक रूप

से रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 7 के तहत के राज्य द्वारा सक्षम और नियुक्त अधिकारी होना के समक्ष जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराये। अधिनियम की धारा 7 और 8 इस प्रकार पढ़ें–

"7. रजिस्ट्रार

(1) राज्य सरकार कर सकती है प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त करें नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य क्षेत्र या उनमें से किन्हीं दो या अधिक का संयोजनरू 7बशर्ते कि राज्य सरकार ऐसा कर सके नगर पालिका, पंचायत या के मामले में नियुक्त करें अन्य स्थानीय प्राधिकारी, कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी उसके एक रजिस्ट्रार के रूप में.

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रार, बिना शुल्क या इनाम के,सभी प्रयोजनों के लिए बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करें धारा 8 या धारा के तहत उसे दी गई जानकारी 9 और खुद को सूचित करने के लिए कदम भी उठाएगा प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु का ध्यानपूर्वक ध्यान रखें उसके अधिकार क्षेत्र में होता है और पता लगाने के लिए और पंजीकृत होने के लिए आवश्यक विवरण दर्ज करें।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रार का एक कार्यालय होगा स्थानीय क्षेत्र जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रार अपने कार्यालय में उपस्थित रहेगा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का उद्देश्य मुख्य रजिस्ट्रार के रूप में ऐसे दिन और ऐसे समय पर निर्देशित कर सकता है और कुछ में रखे जाने का कारण बनेगा के बाहरी दरवाजे पर या उसके निकट विशिष्ट स्थान रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थानीय में एक बोर्ड लगा हुआ है भाषा, रजिस्ट्रार के अलावा उसका नाम जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए वह है उसके लिए जन्म और मृत्यु नियुक्त किया गया, और उसके दिन और घंटे उपस्थिति।

(5) रजिस्ट्रार, पूर्व अनुमोदन से मुख्य रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार नियुक्त करें और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियाँ और कर्तव्य सौंपें उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में।

08. व्यक्तियों को जन्म पंजीकरण कराना आवश्यक है और मृत्यु (1) यह व्यक्तियों का कर्तव्य होगा या तो देने के लिए या दिए जाने का कारण नीचे निर्दिष्ट किया गया है मौखिक या लिखित रूप से, उनकी सर्वोत्तम

क्षमता के अनुसार ज्ञान और विश्वास, यथासंभव समय के भीतर के रजिस्ट्रार को सूचना विहित की गई है में कई विवरण दर्ज करना आवश्यक है के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र धारा 16 की उपधारा (1),–

(ए) किसी घर में जन्म और मृत्यु के संबंध में,चाहे आवासीय हो या गैर–आवासीय, नहीं हो रहा है

खंड (बी) से (ई) में निर्दिष्ट कोई भी स्थान, का प्रमुख घर या, यदि एक से अधिक परिवार रहते हैं घर में, घर का मुखिया, मुखिया वह व्यक्ति होने के नाते, जिसे घर में इतनी मान्यता प्राप्त है या घर में, और यदि वह मौजूद नहीं है उस अवधि के दौरान किसी भी समय घर जन्म या मृत्यु की सूचना निकटतम को देनी होगी घर में मौजूद मुखिया के रिश्तेदार और मेंऐसे किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति, सबसे उम्रदराज वयस्क पुरुष उक्त अवधि के दौरान वहां उपस्थित व्यक्तिय 8 (बी) में जन्म और मृत्यु के संबंध मे अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति या नर्सिंग होम या अन्य समान संस्थान में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ओर सेय

(सी) जेल में जन्म और मृत्यु के संबंध में, प्रभारी जेलर

(डी) जन्म और मृत्यु के संबंध में कुक्कुट पालन, छात्रावास, छात्रावास, धर्मशाला, बोर्डिंग घर, आवास, मधुशाला, बैरक, ताड़ी की दुकान या सार्वजनिक रिजॉर्ट का स्थान, प्रभारी व्यक्ति उसके

(ई) किसी नवजात शिशु या मृत के संबंध में सार्वजनिक स्थान पर लावारिस हालत में मिला शव मुखिया या गांव के अन्य संबंधित अधिकारी एक गांव और स्थानीय प्रभारी अधिकारी का मामलापुलिस स्टेशन अन्यत्ररू बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति ऐसे बच्चे या शव को कौन या किसमें पाता है आरोप है कि ऐसे बच्चे या शव को रखा जा सकता है ऐसे तथ्य को मुखिया या पूर्वोक्त अधिकारी को सूचित करेंय (च) किसी अन्य स्थान पर, ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है नियत।

(2) किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1), राज्य सरकार, कर रही है पंजीकरण में प्राप्त शर्तों के संबंध में विभाजन, आदेश की आवश्यकता हो सकती है कि ऐसी अवधि के लिए जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा पदनाम द्वारा निर्दिष्ट इस निमित्त, देगा या दिलवाएगा घर में जन्म और मृत्यु के संबंध में जानकारी

के स्थान पर उपधारा (1) के खंड (ए) में संदर्भित है उस खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति।

15. 1969 के अधिनियम की धारा 7 और 8 के अनुसार परिवार रजिस्टर दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। अतः यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

16. आवेदक के तर्क के उत्तर में राज्य के विद्वान वकील श्री वी.के. जेमिनी, विद्वान उप महाधिवक्ता, जमानत का विरोध करते हुए राज्य का प्रतिनिधित्व करें आवेदन में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का हवाला दिया गया है उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूँकि उक्त अधिनियम विशेष विधान है, यह अपने आप में अधिनियम के प्रावधानों के तहत था अधिनियम की धारा 68 के तहत नियम तैयार किए गए, जो नियम बनाने की शक्ति है, जिसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 कहा जाता है और उक्त नियमों के नियम 12 के तहत यह प्रावधान है कि की तारीख जन्म, जो मैट्रिकुलेशन में दर्ज किया गया है या समकक्ष प्रमाण पत्र या जन्मतिथि दर्ज की गई स्कूल, प्रामाणिक रूप से निर्धारित किया जाएगा अभियोजन के प्रयोजन के लिए स्वीकृत जन्मतिथि के अंतर्गत पंजीकृत अपराधों के लिए किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट. नियमावली 2007 का नियम 12 निकाला गया है यहाँ के अंतर्गतरू

"12 प्रक्रिया का पालन किया जाना है आयु का निर्धारण.– (1) संबंधित प्रत्येक मामले में कोई बच्चा या किशोर जो कानून, न्यायालय या के साथ संघर्ष में है बोर्ड या जैसा भी मामला हो समिति इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट निर्धारित करेगा ऐसे किशोर या बच्चे या किशोर की उम्र तीस दिनों की अवधि के भीतर कानून के साथ संघर्ष उसके लिए आवेदन करने की तिथि उद्देश्य।

(2) न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो समिति किशोरवयता का निर्णय करेगी या अन्यथा किशोर या बच्चे या जैसा भी मामला हो प्रथम दृष्टया, कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर हो सकता है शारीरिक बनावट या दस्तावेजों के आधार पर,यदि उपलब्ध हो तो उसे संप्रेक्षण गृह भेज दें या जेल में.

(3) किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में कानून के विरोध में, आयु निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या, के रूप में आयोजित किया जाएगा मामला हो, समिति साक्ष्य मांग कर प्राप्त करके–

(ए) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध होय और अनुपस्थिति में किसका

(ii) जन्मतिथि प्रमाण पत्र से स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) में पहली बार भाग लियाय और उसके अभाव मेंय

(iii) ए निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या ए पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र

(बी) और केवल (i) की अनुपस्थिति में,(ii) या (iii) उपरोक्त खंड (ए) में, चिकित्सा विधिवत गठित से राय मांगी जायेगी मेडिकल बोर्ड, जो उम्र की घोषणा करेगा किशोर या बच्चा. मामले में सटीक आकलन उम्र का नहीं किया जा सकता, कोर्ट या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति,उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, हो सकता है, यदि जरूरी समझे बच्चे को लाभ दें या उसकी उम्र कम मानकर किशोर एक वर्ष के अंतराल के भीतर पक्ष.और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, जैसे सबूतों पर विचार करने के बाद उपलब्ध हो सकता है, या चिकित्सा राय, के रूप में मामला हो सकता है, उसकी उम्र के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करें और इनमें से किसी एक में निर्दिष्ट साक्ष्य खंड (ए)(i), (ii), (iii) या उसके अभाव में,खंड (बी) आयु का निर्णायक प्रमाण होगा ऐसे बच्चे या उसके साथ संघर्ष में उसे किशोर मानता है कानून।

(4) यदि किशोर या बच्चे की उम्र या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है अपराध की तिथि पर वर्ष, किसी के आधार पर उप–नियम (3) में निर्दिष्ट निर्णायक प्रमाण न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो समिति लिखित रूप में यह कहते हुए एक आदेश पारित करेगी उम्र और किशोरता की स्थिति की घ ोषणा या अन्यथा, अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए और आदेश की एक प्रति ऐसे लोगों को दी जाएगी किशोर या संबंधित व्यक्ति.

(5) सहेजें और जहां छोड़ें, आगे की पूछताछ या अन्यथा, अन्य बातों के साथ–साथ, अनुभाग के संदर्भ में आवश्यक है 7ए, अधिनियम की धारा 64 और ये नियम, इससे आगे नहीं जांच न्यायालय द्वारा कराई जाएगी अथवा बोर्ड द्वारा जांच कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा या उप–में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण इस नियम का नियम (3).

(6) इस नियम में निहित प्रावधान होंगे निस्तारित मामलों पर भी लागू होता है, जहां किशोरवयता की स्थिति निर्धारित नहीं की गई है उप में निहित प्रावधानों के अनुसार– नियम (3) और अधिनियम, की छूट की आवश्यकता है उचित पारित करने के लिए अधिनियम के तहत सजासंघर्षरत किशोर के हित में आदेश कानून।

17. आवेदक के अधिवक्ता का अनुरोध है कि 2012 के POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के लिए, इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और इसे भारत सरकार द्वारा अधिनियमित करने के लिए, इसे संबंधित विधान में देखा जाना चाहिए। इसके तहत, संविधान के अनुच्छेद 15 की उप–धारा (3) के प्रभावों को ध्यान में रखकर राज्य को बच्चों के संरक्षण के उद्देश्य से विशेष प्रावधान बनाने की जिम्मेदारी प्राप्त होती है। इसे संबंधित राज्य नीति के अनुच्छेद 39 के तहत दिए गए दिशा–निर्देशों के साथ पढ़ना चाहिए, जिसमें राज्य का प्रयास होना चाहिए कि बच्चों को न्याय और संरक्षण प्राप्त हो, और उन्हें दुर्व्यय, शोषण और अत्याचार से बचाया जाए।

18. इस अधिनियम की उक्त उद्देश्य युद्धरत बालकों के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र संधि के आधार पर था, जो कि भारत द्वारा 11 दिसंबर, 1992 को अनुशंसित किया गया था। इससे राष्ट्र को संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करने के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की अपेक्षा थी, जिससे बच्चे को अवैध यौन गतिविधियों में प्रवृत्त करने और उसके शोषण को रोका जा सकता है।

19. 12 से 16 वर्ष की आयु की महिलाओं पर बलात्कार और गैंग रेप के सतत बढ़ते हुए मामलों के चलते, इसी कारण से उक्त पहलू को ध्यान में रखा गया और इसके प्रभाव से विधेयक संख्या 22, 2018, का निर्माण दण्ड संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 द्वारा किया गया था, जिससे दण्ड संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2018 को बदल दिया गया था, और इसे बेल आवेदन को विचार करने के उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त कारकों को प्रस्तुत किया गया था, और उसमें निम्नलिखित दिया गया था

"3. इसलिए, 2018 में दिया गया दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक लागू करने का प्रस्तावना है, जो कीमती वस्तुओं में दण्ड संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को बदलने के लिए बनाया गया है, जिसमें, अन्य बातों में, इसका प्रावधान है।"

(क) बलात्कार के अपराध के लिए सजा सात साल से दस साल तक की न्यूनतम कैद होगी, जो जीवनकाल के लिए कैद किया जा सकता है।

(ख) सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला पर बलात्कार के अपराध के लिए कठोर कैद सजा दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जीवनकाल के लिए कैद किया जा सकता है, जो उस व्यक्ति की प्राकृतिक जीवनकाल के बाकी अंश तक के लिए होगी, और जुर्माना भी देने योग्य होगी।

(ग) बारह वर्ष से कम उम्र की महिला पर बलात्कार के अपराध के लिए कठोर कैद सजा बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जीवनकाल के लिए कैद किया जा सकता है, जो उस व्यक्ति की प्राकृतिक जीवनकाल के बाकी अंश तक के लिए होगी, और जुर्माना या मृत्यु की सजा भी हो सकती है।

(घ) सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला पर गैंग रेप के अपराध के लिए सजा उम्रकैद होगी, जो उस व्यक्ति की प्राकृतिक जीवनकाल के बाकी अंश तक के लिए अभिशिक्षा होगी, और जुर्माना साथ में होगा।

(ड़) बारह वर्ष से कम उम्र की महिला पर गैंग रेप के अपराध के लिए सजा उम्रकैद होगी, जो उस व्यक्ति की प्राकृतिक जीवनकाल के बाकी अंश तक के लिए अभिशिक्षा होगी, और जुर्माना साथ में हो सकती है या मृत्यु की सजा हो सकती है,

(च) सभी बलात्कार मामलों के संबंध में जांच को अधिकारी–चार्ज कर्ता द्वारा रिकॉर्ड करने की तारीख से दो महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए।

(छ) बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच या मुकदमे को दो महीने के अंदर पूरा कर दिया जाना चाहिए।

(ज) एक बलात्कार मामले में दोषस्थान या अवरुद्धि के विरुद्ध एक अपील को दायर करना, अपील के दाखिल करने की तारीख से छह महीने के अंदर निपटा देना।

(झ) बालिका की उम्र सोलह और बारह वर्ष से कम होने पर रेप या गैंग रेप के मामलों में पूर्वानुमति जमाने के विधान का लागू नहीं होगा।

(ज) बलात्कार के मामलों के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1973, और बच्चों के साथ यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 में प्रासंगिक संशोधन, सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक रूप से एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण का विस्तार, पीड़ित को भुगतान के लिए लगाए गए दंड, साक्ष्य के बेहतर रिकॉर्डिंग की सुविधा, और बलात्कार पीड़ित की गरिमा की रक्षा और उसके इलाज को अस्पतालों में निरूशुल्क बनाने के लिए।

20. पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 2 के उप–धारा (डी) के अंतर्गत शामिल परिभाषा भी "बालकध्बालिका" की परिभाषा के रूप में निम्नलिखित हैरू "(डी) "बालक" या "बालिका" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो आठरह (18) वर्ष से कम आयु का हो।"

21. पोक्सो एक्ट 2012 के धारा 2 के उप–धारा (2) में प्रावधान किया गया है कि जहां एक्ट के परिभाषा धारा में उपयोग किया गया शब्द उस विशेष स्थिति को पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं करता है, उस स्थिति में, उस परिभाषा या शब्द का उपयोग जो भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, बाल न्याय (बच्चों के परिवारण और संरक्षण) एक्ट 2000, और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के तहत दिया गया होता है, उन दंड संहिताओं या एक्ट में उन्हें निर्धारित अर्थ को समान रूप से इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें पोक्सो एक्ट 2012 के तहत यात्रा किए जाने वाले अपराधों के लिए लागू किया जाता है। धारा 2 के उप–धारा (2) के अनुसार निम्नलिखित शब्द और अभिव्यक्ति जिन्हें यहां इस्तेमाल किया गया है और परिभाषित नहीं है, लेकिन भारतीय दण्ड संहिता (1860 के 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 के 2), बाल न्याय (बच्चों के परिवारण और संरक्षण) एक्ट 2000 (2000 के 56), और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 (2000 के 21) में उन्हें निर्धारित अर्थ अनुसार उपयोग किया जाएगा।

22. उपरोक्त अनुपात, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निर्धारित करने के उद्देश्य से, यह एक पहलू था जिसे माननीय एपेक्स न्यायालय ने (2017) 15 एस0एस0सी0 133, ईरा बनाम राज्य (दिल्ली राज्य राजधानी) और दूसरों के एक फैसले में व्यापक रूप से विचार किया गया था। जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि बालक यानी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को कहता है, और उसके समझदारी या अच्छा–बुरा को समझने के लिए उसकी उम्र, बुद्धिमानी या मानसिक उम्र में किसी भी अलगाव को उसके

निर्धारण के लिए नहीं लाया जा सकता, 2000 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के संबंधित उप–धारा (डी) के साथ पढ़ा जा सकता है। नीचे विभाजन 133, 134 और 139 प्रमुखतः विशिष्ट उपायों का उदाहरण दिया गया है, जो POCSO अधिनियम 2012 के तहत यौन अपराध और शोषण के लिए बच्चा क्या माने के लिए मापदंड स्थापित करते हैं।

"133. 2012 अधिनियम के विषयवस्तु और कारण का विवरण निम्नलिखित है। "विषयवस्तु और कारण का वक्तव्य।

संविधान के अनुच्छेद 15, इत्यादि, राज्य को बालकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 39, इत्यादि, इसे विशेष रूप से उन बालकों की तत्काल पॉलिसी की दिशा में नियंत्रित करता है जिनकी कोमल आयु का शोषण नहीं होना चाहिए और उनका बचपन और युवावस्था को शोषण से बचाया जाता है, और उन्हें स्वस्थ तरीके से विकसित होने और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में।"

2. संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के अधिकारों की संधि, जिसे भारत ने 11–12–1992 को अनुमोदित किया है, राज्य पक्षों को () बच्चे को किसी भी अवैध यौन गतिविधि में प्रेरित या बलात्कारित करने से रोकने के लिए सभी उचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय अध्यादेश करने की आवश्यकता हैय (इ) यौन वेश्यावृत्ति या अन्य अवैध यौन अभ्यासों में बच्चों का शोषणशील उपयोगय और (ब) बच्चों का शोषणशील उपयोग पोर्नोग्राफिक प्रदर्शन और सामग्री में।

3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एकत्रित डेटा दिखाता है कि बालकों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है। इसे "चाइल्ड एब्यूज इंडिया 2007" नामक महिला और बाल विकास मंत्रालय द्व ारा आयोजित अध्ययन ने भी पुष्टि किया है। इसके अलावा, बालकों के खिलाफ यौन अपराध प्रासंगिक रूप से विधियों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ी संख्या के ऐसे अपराधों के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है और उन्हें पर्याप्त दंड भी नहीं दिया जा रहा है। बाल, जो विक्टिम के रूप में भी हैं और साक्षी के रूप में भी, के हित की रक्षा की जरूरत है। महसूस किया जाता है कि बालकों के खिलाफ अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और उनके

खिलाफ उचित दंडों के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जो एक प्रभावी निवारण हो।

4. इसलिए, इस प्रस्ताव के तहत एक स्वायत्त–सम्मिलित सर्वांगीण कानून बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें शिशु की हर चरण में उसके हित और कल्याण की रक्षा के साथ, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से शिशु की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें शिशु–मित्रपूर्ण प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है जैसे कि अपराध की रिपोर्टिंग, साक्ष्य का रिकॉर्डिंग, जाँच और अपराधों के विचार की व्यवस्था और ऐसे अपराधों के त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के लिए विशेष न्यायालयों के स्थापना का प्रावधान किया गया है।

5. विधेयक को लागू करने में योगदान देगा सुरक्षा, सुरक्षा और सभी बच्चों का अधिकार यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा

6. खंडों पर नोट्स विस्तार से बताते हैं विधेयक में निहित विभिन्न प्रावधान।

7. पूर्व विषय और कारणों का पैरा 1 उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह अधिनियम केवल बालकों और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति है, जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य उनके "बचपन और युवावस्था" को शोषण से बचाना है और सुनिश्चित करना है कि उनसे किसी भी प्रकार के शोषण का अपहरण नहीं किया जाता। ध्यान से इस परिभाषा को देखने पर पता चलता है कि यह एक संपूर्ण परिभाषा है और "किसी भी व्यक्ति" को संदर्भित करती है, जो 18 वर्ष की आयु से नीचे होता है। "वर्ष" को सामान्य क्लॉज अधिनियम के तहत निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है "

3. (66) "वर्ष" ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार गिना जाने वाला एक वर्ष होगा।" इसके साथ ही "आयु" शब्द के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसे संदर्भित किया जा रहा है, उससे किसी भी वास्तविक संदेह के बिना केवल शारीरिक आयु ही है।

139. एक संपूर्ण दृष्टिकोन में अधिनियम को पढ़ने पर, अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के संक्षेप में स्पष्ट हो जाता है कि विधायक का इरादा उन बच्चों पर केंद्रित था, जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है,

अर्थात वे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 18 वर्ष से कम आयु के हैं। एक अधिनियम के व्याख्यान के माध्यम से यह निर्धारित करने के लिए स्वर्णिम नियम है कि क्या न्यायिक ने न्यायाधीश ने वास्तविक रूप से अधिनियम में पाई गई कोई भी अनियंत्रितता को सुधार दिया है, या क्या उसने अधिनियम की वस्तुगत संरचना में परिवर्तन किया है। संक्षेप में कहें तो, यह विचारशीलता के बीच विख्यात दायरा "है" और "करना चाहिए" के बीच एक दायरा है। क्या न्यायाधीश विधायक के स्थान पर खड़े होकर खुद से पूछते हैं कि क्या विधायक ने एक निश्चित परिणाम का इरादा किया था, या क्या वह कहता है कि विधायक का इरादा यही था और वह अपने ही दृष्टिकोन में जो करना चाहिए, उसे प्रवर्तित कर देता है। अगर यह होता है तो साफ है कि न्यायाधीश फिर अधिनियम के बाहर जाता है और एक विधायक बन जाता है, वह कहता है कि कानून क्या होना चाहिए इससे बढ़कर कि कानून क्या है।"

23. उक्त न्याय निर्णय का मतलब है कि जहां "बालक" शब्द का उपयोग किया गया है, उसमें शब्द "18 वर्ष से कम आयु" भी सम्मिलित हो जाता है। इसका अर्थ है कि बालक की परिभाषा में किसी व्यक्ति के लिए एक विशेष आयु का सीमा है, और "18 वर्ष से कम आयु" शब्द का उपयोग स्वयं में शामिल किए गए किसी भी पुरुष या महिला को शामिल कर देगा, जो अभी भी 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं हुआ है। जीवविज्ञानिक आयु के युगपट ने सबसे सुरक्षित मापदंड को निर्धारित किया है, यह तुलना दर्मियान हुई है कि मानसिक मंदता होने के कारण एक व्यक्ति के संदर्भ में, जो मानसिक मंदता के मानकों के कारण हो सकती है, जो बिलकुल अलग परिप्रेक्ष्य में शामिल होने के लिए है। इसलिए जब एक बच्चा एक ठीक समझ रखने लगता है, तो भी वह अभियान्त्रिक और अपराधों के लिए बालक ही रहेगा।

24. इसलिए, यह एरा (सुप्रीम) के उपरोक्त फैसले ने प्रदान किया है कि मानसिक आयु या बच्चे के चरण की अवधि का अधिकारी द्वारा न्यायिक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है, ताकि विधायिका के अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को नष्ट न किया जाए, जबकि विधायिका का उद्देश्य अपराधिक अपराधों के कमिशन से नाबालिग की सुरक्षा करना है, और इसलिए, इसके लिए आयु को सख्तता से व्याख्यान किया जाना चाहिएय 18 वर्ष से कम, और इस उद्देश्य के लिए, इसे सही तरीके से वकील सरकार द्वारा जोर दिया गया है कि 2000 के बाल न्याय अधिनियम और

उसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 2 के उप–धारा (2) द्वारा बचाया गया है, उसी तरह, आयु के निर्धारण की, न्यायिक न्याय अधिनियम 2000 के तहत नियमों के अधीन भी होगा।

25. एक और निर्णय में, जिसका (2017) 7 एस0सी0सी0 578 में रिपोर्ट है, तमिलनाडु राज्य के अनाथालयों में बच्चों के शोषण में, आरई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, इसने तय किया है कि यह एक लाभदायी विधायिका है, जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपायित है, और इसे सख्तता से इन बच्चों के लिए लागू किया जाना चाहिए, जिन्हें वास्तव में राज्य की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए, उस अधिनियम के अनुच्छेद (2) के संदर्भ में अनुच्छेद (2) के साथ शामिल करके, बच्चे की आयु का ध्यान रखते हुए, उस अधिनियम की वस्तुनिष्ठता का पालन किया जाना चाहिए, और इसलिए, उपरोक्त के कारण, जो आवेदक के लिए वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया विचार अंतर्निहित है, बच्चे की आयु का निर्धारण करने के लिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल अलग विधायिका का इरादा और व्याख्या है। उपरोक्त निर्णय का महत्वपूर्ण चरण निम्न प्रकार से है–

"60. इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण दर्ज करना उचित है कि भारत ने बाल के अधिकारों के संधि (सी0आर0सी0) को 11–12–1992 को स्वीकार किया था। सी0आर0सी की धारा 19 राज्य पक्षों को बाल को सभी रूपों के शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट, या दुर्व्यवहार से, लापरवाही या असावधान व्यवहार, पीड़ा या शोषण समेत बचाने के लिए "सभी उपयुक्त विधायिक, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक उपाय अधिकारियों को लाना बंधित करती है। समलैंगिक दुर्भावना के साथ लगे सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए, समलैंगिक यौन शोषण समेत।"

63. देख भाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा कौन है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में "पोक्सो अधिनियम") के धाराएँ किसी भी चिंता और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की कोई परिभाषा नहीं प्रदान करती हैं। लेकिन कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि बाल शिकार को या यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न शिकार होने वाले बच्चे को चिंता और संरक्षण की आवश्यकता है। उसी तरह एक दिए गए मामले में, किसी भी अभियुक्त बच्चे को, जिसे बाल

न्याय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण के सामने पेश किया गया हो, भी एक चिंता और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा हो सकता है।

64. हालांकि, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे यहां "जेजेए अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के धारा 2(14) में चिंता एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे का परिभाषित किया जाता है, लेकिन यह परिभाषा कुछ विशेष श्रेणियों के बच्चों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं करती है। इस परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि जेजेए अधिनियम बच्चों के लाभ के लिए है और इनके अधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के उद्देश्य से, चिंता एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की परिभाषा को एक व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए। यदि कुछ श्रेणियों के बच्चे परिभाषा से बाहर छोड़ दिए जाते हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा, भले ही वे परिभाषा में विशेष रूप से सूचीबद्ध श्रेणियों के बच्चों के समान चिंता एवं संरक्षण की आवश्यकता हो। हमारे सामने उपलब्ध उपकारक विधायिकाओं की तरह के लाभदायी अधिनियम को न्यायालयों और सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा व्यापक दृष्टिकोन से देखा जाना चाहिए।

65. वर्कमेन बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन मामले में इस महान्यायाधीश ने रिपोर्ट के पैरा 4 में इस प्रकार निर्धारित किया था (एस0सी0सी0 पृष्ठ 76)

"4. कानूनी व्याख्या के सिद्धांत अच्छी तरह से स्थायी होते हैं। सामाजिक कल्याण विधायिका और मानवाधिकार विधायिका जैसे उदार विधियों में प्रायः होने वाले शब्दों को प्रोक्रस्टीसियन बेड में रखने या लिलीपुटियन आयामों में कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन विधियों के व्याख्यान में, शास्त्रीय व्याख्या की मूर्खता से बचना चाहिए और इसके गलत उपयोग की फुर्ती को पहचाना और कम करना चाहिए।" यह महान्यायाधीश उदार विधियों में शब्दों के व्याख्यान में शास्त्रीय व्याख्या की विधियों में आयामों को नहीं बदलने के लिए कह रहे हैं और इसे अनुपालन करने की आवश्यकता है, जिससे इन विधियों के सचेत और सठिक उपयोग का समर्थन किया जा सके।

26. इसके अलावा भी, तर्कसंगत रूप से सामान्य भाषा में और सामाजिक जीवन में भी, जहां भी किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का निर्धारण संबंधी विवाद उत्पन्न होता है, उससे संबंधित जन्मतिथि, जो हाई स्कूल

प्रमाणपत्र में रिकॉर्ड की जाती है, वह तिथि जिसे आसानी से स्वीकार किया जाता है, उसे जन्मतिथि या उम्र का निर्धारण करने के लिए आधार माना जाता है, जो वर्तमान प्रकार की स्थिति में और स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, प्रोसेक्यूट्रिक्स की जन्मतिथि 11 जुलाई, 2003 से है, प्रोसेक्यूट्रिक्स को अपराध की तारीख, यानी 14 जुलाई, 2020 को नाबालिग माना गया था, और इसलिए, आपराधिक के खिलाफ, जो शिकायत की जाती है, प्राथमिकता से दिखता है कि आपराधिक विधि (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

27. इसलिए, इस आवेदक को जमानत नहीं देने का यह न्यायाधीश विचार नहीं कर रहा है। इसलिए, इस जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

28. यहां यह साफ हो जाता है कि जो कुछ भी न्यायालय ने इस विशेष जमानत आवेदन को विचार करते समय देखा है, वह अनिवार्य रूप से केवल विचार किए गए अस्थायी रूप में है जिसका उद्देश्य जमानत आवेदन को विचार करना है और यह न्यायिक प्रक्रिया को जो अलग से निर्णय करना है, उसे प्रभावित नहीं करेगा।

(शरद कुमार शर्मा, जे)

11.06.2021